अध्याय VIII
निष्कर्ष

अध्याय VIII

निष्कर्ष

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने वाली 86 वां संवैधानिक संशोधन के 13 वर्ष और आर.टी.ई अधिनियम के अधिनियमन के छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, राज्य में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का उददे्श्य हासिल नहीं किया जा सका था। स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्य, जैसा की अधिनियम में निर्धारित है; उनके द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे। छः से 14 वर्ष के आयुवर्ग में बाल जनसंख्या का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा किए गए परिवार सर्वेक्षण में सबसे कमजोर वर्ग के बालकों, स्ट्रीट चिल्ड्रन और पलायन कर अनाधिकृत बस्तियों में रहने वाले बच्चों को समाविष्ट नहीं किया गया था।

- जिला और राज्य स्तरीय डाटा के मध्य और वी.ई.आर./डब्ल्यू.ई.आर. से संकलित और यू–डाईस द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के मध्य बड़ी विसंगतियाँ हैं। ये भिन्नता बच्चों की पहचान एवं तत्पश्चात उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों में गंभीर संशय उत्पन्न करता है। विभाग ने शाला में फर्जी नामांकन, विद्यार्थियों के दोहरीकरण एवं यू–डाईस में नामांकन की गलत प्रविष्टि के मामलों की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। इस प्रकार, नामांकन और विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सभी बसाहटों में विद्यालयीन सुविधा, अधिनियम के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के भीतर सुनिश्चित नहीं की गई थी। पडोस के क्षेत्र की सीमा जहॉ परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी थी, अधिसूचित नहीं की गई थी।

- छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक था, सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि 10.25 लाख बच्चों ने प्राथमिक स्तर (कक्षा V) के बाद विद्यालय छोड दिया जबकि 4.09 लाख विद्यार्थियों ने कक्षा VII के बाद कक्षा VIII में नामांकन कराए बिना विद्यालय छोड दिया। 2013–16 के दौरान, नामांकन में सात से दस लाख की अत्यधिक गिरावट पाई गई।

- प्रत्येक वर्ष विद्यालय से बाहर के बच्चों का पता चलना, प्रतिधारण और ड्राप आउट के अनुपयुक्त निगरानी को दर्शाता है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विलंबित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के कारण सभी पहचान किए गए बच्चों को कवर नहीं किया जा सका। मात्र 18 से 80 प्रतिशत विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में जोडा गया था, जो कि बालकों को पता लगाने के तंत्र की कमी को दर्शाता है। आगे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं।

- तीन वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों को आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय पूर्व सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई थी। अभी भी राज्य, इस उद्देश्य के लिए ऑगनवाड़ी पर निर्भर था।

- शिक्षा के क्षेत्र में इच्छित परिणाम हासिल न होने के लिए राज्य निधियों की कमी को जिम्मेदार ठहराता है। तथापि, विभाग आर.टी.ई. अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने में असफल रहा और 2010–16 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधि का 23 से 52 प्रतिशत अनुपयोगित रहा। निधियों की बड़ी रकम आर.एस.के. और जिला स्तरीय बैंक खातों में पड़े रहे। विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक बकाया अग्रिम असमायोजित पड़ा रहा। अव्ययीत शेष और असमायोजित अग्रिम की बडी राशियाँ, राज्य के कमजोर वित्त आयोजना और नियंत्रण का सूचक है।

- मार्च 2016 को स्थिति में, राज्य के शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 63,851 शिक्षकों/प्रधान शिक्षकों के पद रिक्त थे। तथापि, कई जिलों/विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना के साथ–साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त थे। शिक्षकों की पदस्थापना का युक्ति–युक्तकरण नहीं किया गया था। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई क्योंकि 2010–16 के दौरान, 17,938 से 20,245 विद्यालयों में एक शिक्षक थे। राज्य में, 32,703 विद्यालयों में इच्छित छात्र–शिक्षक अनुपात हासिल नहीं हुआ था। अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम कार्य–दिवस की संख्या, शिक्षण घंटे और प्रति सप्ताह कार्य घंटो का पालन नही हुआ था। विद्यालयों में पालक शिक्षक बैठके नियमित रूप से नहीं हुई थीं और हमने हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान पाया कि अधिकांश पालक आर.टी.ई. अधिनियम से अवगत नहीं थे।

- आधारभूत अधोसंरचना के लिए अधिनियम में निर्धारित मान एवं मानकों का पालन विद्यालयों में तीन वर्ष के भीतर नहीं किया गया, जैसा कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। तथापि, राज्य के शासकीय विद्यालयों में कुछ अधोसंरचना मानकों में सुधार हुआ किन्तु, जहाँ इसे होना चाहिए था उससे यह काफी पीछे था। शासकीय विद्यालयों में प्रांरभिक शिक्षा में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी पढ, लिख या शब्द पहचान करने में सक्षम नहीं थे और उनमें आयु के अनुरूप गणितीय योग्यता नहीं थी।

- निजी विद्यालयों के प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था। निजी क्षेत्र विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में विलंब हुआ था और विद्यालयों को अपेक्षित अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही मान्यता दी गई थी। आगे, सभी अनुदान अप्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभान्वित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों का 25 प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित नही किया गया था।

- विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, माता–पिता और अभिभावक के सदस्य के रूप में आवश्यक संख्या पूर्ण किये बिना ही कार्यशील थीं एवं समितियों के लिये निर्धारित क्रियाविधि का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण और निगरानी के लिए निर्धारित लक्ष्य, मानवशक्ति की कमी के कारण हासिल नहीं हुये।

- राज्य सलाहकार परिषद की बैठक नामांकित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नियमित अंतराल पर नहीं हुई और विभाग द्वारा परिषद की सलाह पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई। जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध नहीं था। अध्यक्ष/सदस्यों की विलंबित/पदस्थापना न होने से

बालक के अधिकार से संबंधित प्रकरण राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास लंबित थे।

आर.टी.ई. अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान था और यह एक प्रयास था जिससे सार्वभौमिक पहुँच एवं प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और छह से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को प्राप्त करना था। तथापि, सभी के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य द्वारा सभी पात्र बालकों की पहचान नहीं की जा सकी थी और उनका पता नहीं लगाया जा सका था, उपेक्षित बच्चों को नजरअंदाज किया गया था, विद्यालयों के लिये अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता के न्यूनतम मानकों को अभी भी प्राप्त करना था।

ग्वालियर
दिनांक: 17 जुलाई 2017

(पराग प्रकाश)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक